कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099 ई-मेल :dmawaslko@gmail.com

पत्रांक : 230/OSD/2020

दिनांक : 20.3.2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि मोहल्ला खुर्रम नगर (महानगर चौराहे से कुकरैल वन्य क्षेत्र प्रवेश द्वार तक, कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, शिवानी विहार, अबरार नगर, कमला नेहरू नगर, विकास नगर, टेढ़ी पुलिया से गुलाचीन मंदिर से कपूरथला चौराहे तक, कपूरथला चौराहे से महानगर पीएसी गेट तक, महानगर पीएसी गेट से वायरलेस चौराहे से रहीम नगर चौराहा होते हुए खुर्रम नगर दोनों तरफ का क्षेत्र कुकरैल नाले और टेढ़ी पुलिया/कुर्सी रोड के बीच का समस्त क्षेत्र) जनपद लखनऊ थाना विकास नगर, अलीगंज, महानगर, गुडंबा, इंदिरा नगर में उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में स्थित समस्त कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं संस्थान (हॉस्पिटल, फार्मेसिस्ट/मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी एवम् अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सामग्री यथा रसोई गैस, दूध, राशन इत्यादि को छोड़कर) दिनांक 23 मार्च 2020 तक अथवा अगले आदेश द्वारा घोषित तिथि तक के लिए बंद किए जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

20/3/2020

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर), लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, लखनऊ।
8. समस्त अपर जिलाधिकारी, लखनऊ।
9. नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
10. समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
11. समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
12. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
13. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, लखनऊ।
14. सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर लखनऊ।
15. अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा, लखनऊ।
16. उप निदेशक, सूचना, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश की सूचना का प्रसारण/प्रकाशन जनहित में समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ